फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बालू बनाम विपक्षी श्री ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 68/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक: 19.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 44 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अत: अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 44 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 45 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 44 के पिता रूपा के नाम दर्ज थी जिस पर जब तक रूपा जी जीवित रहे तब तक वह काबिज होकर काश्त करते रहे। उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 44 हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्य धारी है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 43 का किसी तरह से कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। परन्तु विपक्षी संख्या 1 से 43 का प्रार्थनाग्रस्त भूमि में गलत अकन होने के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 43 प्रार्थी का बदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि उनके पिता रूपा वल्द देवा भील के नाम खातेदारी हक से दर्ज रही है जिसके प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 44 वारिसान है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 43 के नाम गलत रूप से अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बंदोबस्ती जमाबंदी संवत 2012 से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के सांविक आराजी नं. रूपा वल्द देवा भील के नाम खातेदारी से दर्ज रकबे है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है जबकि विपक्षी स्वर्ण जाति से संबंधित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता से विपक्षी के नाम किस आधार पर दर्ज हुई उक्त बिन्दु का मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जा सकता है। बंदोबस्ती जमाबंदी 2012 में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के सांविक आराजी नं. प्रार्थी के पिता के नाम अंकित हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। अत: उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का बरणी भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडगांव तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 19 की आराजी नम्बर 699, 700, 701, 716, 717, 718, 722 किता 07 रकबा 0.6300 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 20 की आराजी नम्बर 2139/718, 709 से 715 कुल किता 08 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 121 की आराजी नम्बर 1761, 1763, 2179/698, 2180/700, 2192/1762, 697, 702, 703 कुल किता 08 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 209 की आराजी नम्बर 708 कुल किता 1 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ड.) की खाता संख्या नया 308 की आराजी नम्बर 704 से 707 कुल किता 04 रकबा 0.7600 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (च) की खाता संख्या नया 266 की आराजी नम्बर 719 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 43 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:44:48 IST
Reason: SelfAttested